न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/78

1. किशना आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1–प्रेमबिहारी आत्मज किशना
   1/2–मंगू बाई पुत्री किशना
   1/3–शम्भू बाई पुत्री किशना
   1/4–श्यानी बाई पुत्री किशना
   जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
2. नन्दलाल आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1– नवल कुमार आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया हाल निवासी किशोरपुरा कोटा
   2/2– रामचरण आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया हाल निवासी वीरसावरकर नगर कोटा
3. बिरधा आत्मज रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1–राजाराम आत्मज बिरधा
   3/2–रामावतार आत्मज बिरधा
   3/3–कल्ली बाई बेवा बिरधा
   3/4–नन्द कंवरी पुत्री बिरधा
   जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
4. भैरूलाल आत्मज रघुनाथ जाति माली निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. उच्छवलाल आत्मज स्व.गोपाल
2. छीतरलाल आत्मज स्व. गोपाल
3. किशोरी बेवा स्व. गोपाल (मृतक)
   जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री रमेशचंद कुशवाह, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री हुकुमचन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

अपील संख्या 2025/78
किशना मृतक जर्ये का.मु. प्रेमबिहारी बनाम उच्छवलाल, सरकार

निर्णय

दिनांक 31.07.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 282/2001 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा के माल में आराजी ख०नं० 257 रकबा 0.07, ख०न० 259 रकबा 0.51 हैक्टर ख0नं0 260 रकवा 1.54 हैक्टेयर, ख०नं० 278 रकबा 0.53 हैक्टर कुल कित्ता 4 रकबा 2.65 हैक्टर स्थित है उक्त भूमि वदीगण के पिता के खातेदारी की थी। राजस्व अधिकारीयों द्वारा वादीगण के पिता का नाम रेकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादीगण के नं0 1, 2 व 3 के नाम खाते में दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी के पुराने नम्बर 277, 278, 279 थे तथा सम्वत 2016 से 2024 के मिलान क्षेत्र फल में ख0नं0 267, 268, 269 थे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण एवं उनके पिता को कोई सूचना न कर राजस्व रिकार्ड से उनका नाम खाते से हटाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 का नाम खाते में इन्द्राज दुरूस्ती अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण रिकॉर्ड राजस्व में अपना नाम होने के कारण वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमदा है तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रूकवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 उक्त गलत इन्द्राज की आड में आये दिन ही वादी के शांति पूर्ण कब्जे कब्जे काश्त में मदाखालत व मजाहमत करते रहेते है तथा वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने के प्रयास में लो रहते है तथा अभी दिनांक 18.03.1997 को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण आ गये तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने यह भी धमकी दी कि प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में है ओर वह कब्जा करके रहेगा तथा भूमि को ज्यादा होगा तो खुद बुर्द भी कर देगे। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री परमाई जावे। आराजी ख0नं0 257 रकबा 0.70 है०, ख0नं0 259 रकबा 0.51 है०, ख0नं0 260 रकबा 1.54 है०, ख0नं0 278 रकबा 0.53 है० कुल किता 4 रकबा 2.65 है० वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 का नाम उक्त आराजी के खाते से खारिज किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड बहैसियत खातेदार टेनेन्ट अंकित किया जावे तथा रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमाया जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषे० की डिक्री पारित की जावे कि प्रति० वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त की आराजीयात जिसका विवरण वाद पत्र की मद नं० 1 से दिया गया है मे किसी प्रकार की मदाखलत व

मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये तथा वादीगण को शांति पूर्वक काश्त करने दे व काबिज रहने देवे। वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे अन्य न्यायोचित सहायता जो मिल सके वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादीगण अपीलान्ट के पिता रघुनाथ आत्मज मेदा जी के खाते एवं कब्जे में ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 267 की 15 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 की 4 बीघा 18 बिस्वा कृषि आराजियात दर्ज चली आ रही थी। रेस्पो० नं० 1 व 2 के पिता गोपाल आ० रघुनाथ जी धाकड उक्त भूमि को 60/– रूपये में खरीदना बता कर इंतकाल नं0 262 से अपने खाते दर्ज करवाली। उक्त इंतकाल से गोपाल जी को तथा उनकी मृत्यु के बाद रेस्पो० नं० 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आधार पर वादीगण का दावा डिक्री करना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर दावा वादीगण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी रेस्पौ० न० 1 व 2 ने बेचान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य

रेस्पो० के पिता गोपाल जी द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार का कोई दस्तावेज इकरार नामा अथवा विक्रय पत्र अथवा किसी प्रकार की तहरीर प्रस्तुत नहीं की इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से उक्त भूमि गोपाल जी के खाते दर्ज करदी और न ही अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश किया। इस आधार पर खोला गया नामा० स्वतः ही अवैध हो जाता है अतः अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण का वाद डिक्री करना चाहिये था ऐसा न कर दावा वादीगण अपीलान्ट खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० ने अपने बेचान के बाबत बेचान संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इस कारण अपीलान्ट रघुनाथ जी के वारिसान होने से उक्त विवादित भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है इसके बावजूद भी दावा वादीगण डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० नं० 2 छीतरलाल के बयान दिनांक 9–1–2025 को लेख बद्ध किये गये जिसमें रेस्पो० ने यह माना है हमने कोई रजिस्टरी पेश नहीं की, मेने सिंचाई की कोई रसीद पेश नहीं की। विवादित भूमि रघुनाथ जी के खाते की भूमि थी। मुझे पता नहीं कि रघुनाथ जी की जमीन सेटलमेन्ट विभाग ने हमारे पिता के नाम दर्ज करदी गयी हो। इसके बावजूद भी वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलान्ट ने तनकी नम्बर 1 पूर्ण रूप से प्रमाणित कर साबित करदी थी जिसके आधार पर दावा डिक्री करना चाहिये था किन्तु उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय करने व दावा वादीगण खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० प्रतिवादी तनकी नं0 2 को प्रमाणित करने में विफल रहा है इसके बावजूद भी तनकी नं0 2 व 3 का निर्णय प्रतिवादी रेस्पौ० के पक्ष में दावा वादीगण खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो० नं0 1 व 2 ने अपनी माता किशौरी बाई की मृत्यु की सूचना नहीं दी और न ही रेस्पो० के अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचना दी गयी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय कर दिया जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट ने दिनांक 4–3–2025 को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी लेने पर किशोरी बाई का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने की व मृत्यु हो जाने की जानकारी हुई। अपीलान्ट वादीगण को भी किशौरी की मृत्यु की जानकारी नही हो सकी। इस कारण किशोरी बाई की मृत्यु होने के बाबत कायम मुकामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में चार वादीगण ने वाद पेश किया था जिसमे से तीन वादीगण की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय उनवान हाजा में वादी नं0 4 भेरूलाल का नाम अंकित करने से रह गया है। इस कारण अपील भेरूलाल की ओर से भी पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शहादत को एग्रीशियेट किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. मई 2003 पेज 245, आर.आर.डी. मार्च 2003 पेज 130, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 157, 2014(1) आर.आर.टी. पेज 1 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 निरस्त किए जाने का निवदेन किया। साथ ही अपीलांट वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण को वाद विषयक एंव अपील विषयक आराजीयात वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 257 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 259 की 0.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 260 की 1.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.53 हेक्टर कुल चार किता की 2.65 हेक्टर भूमि का वादीगण अपीलांटगण को खातेदार घोषित फरमाया जाकर उक्त भूमि प्रतिवादीगण रेस्पो० नं० 1 व 2 के खाते से हटायी जाकर अपीलांटगण के खाते दर्ज किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण के पिता के खाते में वादग्रस्त आराजी सन् 1937 से पूर्व दर्ज थी। अपीलांटगण के पिता ने सन् 1937 में ही उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट के पिता गोपाल को बेचान कर दिया था। गोपाल द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीद किए जाने के पश्चात विधिवत रूप से नामान्तरकरण खोला जाकर वादग्रस्त आराजी गोपाल के खाते दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टगण के पिता गोपाल वादग्रस्त आराजी पर खरीद की दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। गोपाल की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर स्वयं रेस्पोडेन्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टगण व उनके पिता का सन् 1937 से ही वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में अपीलांटगण का वाद्रगस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलांटगण वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पिता गोपाल द्वारा 60 रूपये में खरीद की गई है। खरीद के पश्चात वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 14.04.1937 के आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पिता गोपाल के खाते दर्ज हुई है। अपीलांटगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 254 के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में आज तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 254 आज भी प्रभावी है। अपीलांटगण द्वारा अपने वादपत्र एवं अपील मेंमो में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए गए है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.02.2025 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.02.2025 विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.02.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से

प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2017 सुप्रीम कोर्ट बउनवान शिवाजी बलराम हाईबट्टी बनाम अविनाश मारूती पंवार में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2017, आर.आर.डी. 1988 पेज 143 प्रस्तुत किए तथा सम्पत्ति अंतरिण अधिनियम की धारा 54 का अवलोकन करवाया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 257, 259, 260, 278 कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड रही है तथा सेटलमेंट विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण अपीलांटगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पिता गोपाल के खाते त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता द्वारा सन् 1937 में खरीद की गई है तथा खरीद के पश्चात नामान्तकरण स्वीकृत होकर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पिता गोपाल के खाते दर्ज हुई है अतः वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण की खरीदशुदा भूमि होने के कारण अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2049 से 2051 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–A1 नकल नामान्तरकरण रजिस्टर मौजा सोगरिया निजामत लाडपुरा राज. कोटा के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 14.04.1937 द्वारा वादग्रस्त आराजी रूघनाथ बेटा मेदा जाति माली के स्थान पर गोपाल बेटा रूगनाथ जाति धाकड़ का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। इसी नामान्तरकरण संख्या 254 में खातेदार रघुनाथ द्वारा 60 रूपये प्रतिफल लेकर वादग्रस्त आराजी को गोपाल को बेचान किए जाने का अंकन है। अतः रेस्पोडेन्टगण का यह कथन दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता गोपाल की खरीदशुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजी के खरीद किए जाने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 14.04.1937 स्वीकार होकर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पिता गोपाल के खाते दर्ज हुई है। चूंकि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध से पूर्व ही रेस्पोडेन्टगण के पिता गोपाल के खाते दर्ज हो चुकी थी अतः अपीलांटगण का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त

आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन किए जाने का कथन सही नहीं है। अपीलांटगण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन किए जाने के कथन को प्रमाणित करनें में असफल रहे है। अपीलांटगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 254 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिए जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 254 आज भी अस्तित्व में है। हमारे मत में उक्त नामान्तरकरण संख्या 254 को निरस्त करवाए बिना अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांटगण प्रश्नगत वाद एवं अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 में अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 282/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/78

1. किशना आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1–प्रेमबिहारी आत्मज किशना
   1/2–मंगू बाई पुत्री किशना
   1/3–शम्भू बाई पुत्री किशना
   1/4–श्यानी बाई पुत्री किशना
   जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
2. नन्दलाल आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1– नवल कुमार आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया हाल निवासी किशोरपुरा कोटा
   2/2– रामचरण आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया हाल निवासी वीरसावरकर नगर कोटा
3. बिरधा आत्मज रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1–राजाराम आत्मज बिरधा
   3/2–रामावतार आत्मज बिरधा
   3/3–कल्ली बाई बेवा बिरधा
   3/4–नन्द कंवरी पुत्री बिरधा
   जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
4. भैरूलाल आत्मज रघुनाथ जाति माली निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. उच्छवलाल आत्मज स्व.गोपाल
2. छीतरलाल आत्मज स्व. गोपाल
3. किशोरी बेवा स्व. गोपाल (मृतक)
   जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

ख्या: 282/2001

1. किशना आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1–प्रेमबिहारी आत्मज किशना
   1/2–मंगू बाई पुत्री किशना
   1/3–शम्भू बाई पुत्री किशना
   1/4–श्यानी बाई पुत्री किशना
   जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
2. नन्दलाल आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1– नवल कुमार आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया हाल निवासी किशोरपुरा कोटा
   2/2– रामचरण आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया हाल निवासी वीरसावरकर नगर कोटा
3. बिरधा आत्मज रघुनाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1–राजाराम आत्मज बिरधा
   3/2–रामावतार आत्मज बिरधा
   3/3–कल्ली बाई बेवा बिरधा
   3/4–नन्द कंवरी पुत्री बिरधा
   जाति माली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
4. भैरूलाल आत्मज रघुनाथ जाति माली निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. उच्छवलाल आत्मज स्व.गोपाल
2. छीतरलाल आत्मज स्व. गोपाल
3. किशोरी बेवा स्व. गोपाल (मृतक)
   जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 282/2001 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

अपील तारीख 31.07.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रमेशचन्द खाह तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री हुकुमचन्द जैन के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 282/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा